सं0-1929/62-2-2014-2/3(09)/2014

प्रेषक,

डा0 सूर्य प्रताप सिंह,
प्रमुख सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियंता,
लघु सिंचाई विभाग,
उ0 प्र0 लखनऊ।

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2 लखनउ- दिनांक- 24 जुलाई,2014

विषय- वित्तीय वर्ष 2014-15 के अन्तर्गत अनुदान सं0-13 के अधीन लेखा शीर्षक-2702-लघु सिंचाई-आयोजनेत्तर-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-03-लघु सिंचाई योजना में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-जी-471/ल0सिं0/बजट-आयोजने0/2014-15, दिनांक 16-07-2014 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक 22-7-2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में अनुदान सं0-13 के अधीन लेखा शीर्षक-2702-लघु सिंचाई-आयोजनेत्तर-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-03-लघु सिंचाई योजना में अधिष्ठान की विभिन्न मदों में प्राविधानित धनराशि रू0-2188738 हजार के सापेक्ष प्रथम चार माहों हेतु शासनादेश सं0-996/62-2-2014-2/3(09)/2014, दिनांक 07-4-2014 द्वारा रू0-729580 हजार (रू0-बहत्तर करोड पंचान्नवे लाख अस्सी हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है। इस प्रकार उक्त धनराशि को घटाने/समायोजित करने के उपरान्त अवशेष रू0-1459158 हजार (रू0-एक सौ पैतालिस करोड इक्यानवे लाख अटठावन हजार मात्र) में से मद-14-मोटर गाडियों का क्रय में अवमुक्त की जाने वाली धनराशि रू0-1667 हजार (रू0-सोलह लाख सरसठ हजार मात्र) को घटाते हुए धनराशि रू0-1457491 हजार (रू0-एक सौ पैतालिस करोड चौहत्तर लाख इक्यानबे हजार मात्र) की धनराशि संलग्न विवरणानुसार महामहिम राज्यपाल आपके निस्तारण पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है:-

(1) उक्त समस्त धनराशि के आहरण, व्यय एवं प्रबन्धन में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक 22-7-2014 में विनिर्दिष्ट किये गये समस्त अनुदेशों

http://shasanadesh.up.nic.in

एवं अन्य सूसंगत वित्तीय नियमों/प्राविधानों/शासनादेशों का अनुपालन अक्षरश: अवश्यमेव सुनिश्चित किया जाय।

(2) उक्त धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के अन्तर्गत लघु सिंचाई कार्यक्रम में चालू योजनाओं में अन्य व्यय (अधिष्ठान) की मदों में व्यय हेतु है। अवमुक्त धनराशि को किसी ऐसे मद पर कदापि व्यय न किया जाय, जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल एवं शासन के स्थाई/अस्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासन या सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, ऐसा व्यय शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति व सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जाय तथा व्यय अवमुक्त धनराशि तक ही सीमित रखा जाय। व्यय में की गयी किसी भी अनियमितता के लिए आहरण एवं वितरण अध्किारी उत्तरदायी होंगे।

(3) आपको पुन: स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त धनराशि की प्राप्ति की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय कदापि न किया जाय एवं व्यय हेतु समय-समय पर शासन द्वारा मित्तव्ययता संबंधी आदेशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(4) यह व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित कर लिया जाय कि अवमुक्त धनराशि के प्रत्येक बिल पर सही, सम्पूर्ण, मुख्य, लघु, उप एवं विस्तृत लेखा शीर्षक अवश्य अंकित किया जाय और प्रत्येक बिल पर ऊपर दाहिनी ओर लाल स्याही से आयोजनागत शब्द अवश्य लिखा जाय अन्यथा महालेखाकार कार्यालय में सही बुकिंग में बाधा होगी। अवमुक्त धनराशि को यथाशीध्र खण्डीय अधिशासी अभियंता को आवंटित करते हुए शासन को भी अवगत कराया जाय।

(5) अवमुक्त धनराशि के समक्ष किए गये व्यय निम्नलिखित समय सारणी के अनुसार निर्धारित रूप पत्रों में उनके सम्मुख अंकित तिथियों तक मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायें जायें।

1-मासिक व्यय विवरण	आगामी माह की 05 तारीख तक
2-प्रारम्भिक व्यायाधिक्य तथा बचत विवरण	15-10-2014 तक
3-व्यायाधिक्य तथा बचट का अंतिम विवरण्	15-12-2014 तक
4-वर्ष 2014-15 के आवंटन का अंतिम लेखा विवरण (पुनर्विनियोग का प्रस्ताव) यदि कोई हो	15-02-2015 तक
5-आवंटन का समर्पण	15-03-2015 तक

नोट:- दिनांक 15-03-2015 के बाद कोई भी समर्पण स्वीकार नही किया जायेगा।

(6) तत्संबंधी व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के अन्तर्गत अनुदान सं0-13 के अधीन **लेखा शीर्षक-2702-लघु सिंचाई-आयोजनेत्तर-80-सामान्य-800-**

http://shasanadesh.up.nic.in

अन्य व्यय-03-लघु सिंचाई योजना में सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

2- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 उ0 प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक 22-7-2014 के क्रम में जारी किये जा रहे है।

संलग्नक:यथोक्त।

भवदीय,

ह0/

(डा0 सूर्य प्रताप सिंह)

प्रमुख सचिव।

सं0-1929(1)/62-2-2014, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)।/।। उ0 प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) ।/।। उ0 प्र0 इलाहाबाद।
3- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2, उ0 प्र0 शासन।
4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0 प्र0 शासन।
5- निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।
6- एन0आई0सी0 की प्रति।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ह0/

(एस0पी0 सिंह)

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in